5.1 Concept of Dissolution of Firm

Meaning of Dissolution of Partnership

साझेदारी के विघटन या समापन का अर्थ

साझेदारी का निर्माण सभी साझेदारों के लिखित या मौखिक समझौतों के आधार पर एक निर्धारित उद्देश्यों (लाभार्जन करने एवं शर्तों के आधार पर बांटने) की पूर्ति के लिए किया जाता है। यदि निर्धारित उद्देश्य अल्पकालिक है तो उद्देश्य की पूर्ति होने पर अथवा साझेदारों में से एक या एक से अधिक साझेदारों के व्यवसाय से अलग होने पर वर्तमान साझेदारी का विघटन या समापन हो जाता है। अन्य अर्थों में यह भी कहा जाता है कि जब भी साझेदारों के बीच आपसी समझौता भंग हो जाता है तो यह कहा जाता है कि साझेदारी समाप्त हो गई है।

इस प्रकार स्पष्ट है कि *"साझेदारों के बीच साझेदारी का टूट जाना ही साझेदारी का विघटन या समापन कहलाता है।"*

Meaning of Dissolution of Firm

साझेदारी फर्म के विघटन का अर्थ

भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा 39 के अनुसार, *"एक फर्म के सभी साझेदारों के बीच साझेदारी का टूटना ही फर्म का विघटन कहलाता है।"*

इस प्रकार *'साझेदारी का विघटन या समापन'* तथा *'फर्म का विघटन या समापन'* दोनों बातों में काफी अन्तर है। कानून की दृष्टि में एक फर्म के समस्त साझेदारों के बीच साझेदारी की समाप्ति फर्म की समाप्ति कहलाती है। फर्म का विघटन होने पर साझेदारी का स्वाभाविक या अनिवार्य रूप से विघटन हो जाता है, किन्तु एक साझेदारी का विघटन होने पर फर्म का विघटन या अन्त होना अनिवार्य नहीं है, क्योंकि शेष बचे हुए या इच्छुक साझेदार अथवा नये साझेदारों को प्रवेश कराकर पुराने नाम से या नये नाम से साझेदारी का पुनर्गठन कर उसी व्यवसाय को चालू रख सकते हैं।

जैसे किसी साझेदार के मरने या अवकाश ग्रहण करने अथवा दिवालिया धोषित होने पर यदि अन्य सब साझेदार मिलकर कार्य करते रहें तो यह *'फर्म का विघटन'* नहीं कहा जाएगा,

बल्कि 'साझेदारी का अन्त' कहा जाएगा, परन्तु जब प्रत्येक साझेदार फर्म से अपना संबंध तोड़ ले और व्यवसाय का संचालन बन्द कर दे साथ ही सभी सम्पत्तियां व जायदाद बेच दी जाए तो यह *'फर्म का विघटन या समापन या अन्त'* कहा जाएगा।

****